संख्या:105/2016/1160जेएल/22-3-16-100(103)/2014

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2016***

विषय: मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-10607(एमबी)/2015-राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29-02-2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सख्या-66/2016/825जेएल/22-3-16-100(103)/2014, दिनांक 22-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय पुत्र श्री बालदत्त पाण्डेय को स्थानान्तरित कर जिला कारागार, सीतापुर में तैनात किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2- उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-10607(एमबी)/2015-राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में बंदी द्वारा एक प्रत्यावेदन दिनांक 23-02-2016 प्रस्तुत किया गया, जिसमें बंदी ने जिला कारागार, सीतापुर में किये गये स्थानान्तरण से अपनी जान-माल को खतरा बताते हुए सीतापुर, वाराणसी व देवरिया के स्थान पर किसी अन्य कारागार में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। मा0 न्यायालय अपने आदेश दिनांक 29-02-2016 में बंदी द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में शासन को शपथ पत्र दाखिल किये जाने के निर्देश दिये है।

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 23-02-2016 में उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश सख्या-66/2016/825जेएल/22-3-16-100(103)/2014, दिनांक 22-02-2016 को संशोधित करते हुए उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी राकेश उर्फ हनुमान पाण्डेय पुत्र श्री बालदत्त पाण्डेय को जिला कारागार, सीतापुर के स्थान पर **जिला कारागार, बाराबंकी** स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय **इस शर्त के अधीन लिया गया है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।</u>

4- उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 22-02-2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

<u>संख्या:105/2016/1160जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, रामपुर।
2. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
3. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
4. अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर/सीतापुर/बाराबंकी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।